25-1-19 को पेश हो/

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला–स०मा०)

(18) sd/-

25/1/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। प्र० साहब क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के निरीक्षण में व्यस्त है। पत्रावली मुता० आदेशानुसार दिनांक 29-1-19 को पेश हो। sd/-

29/1/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। बहस वकील सायल ने अपनी बहस में अवगत कराया प्रकरण में विवादित भूमि आ.ख.न. 2279 को छोड़ कर हमारी सह खातेदारी भूमि है। जिसका बंटवारे का दावा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा। विवादित ख.न. 2280 में हमारी आबादी बनी हुई है। जिसके लिए आ.ख.न. 2298 व 2280 में होकर आबादी में आने जाने का मौके पर रास्ता बना हुआ है। तथा नक्शा शीट में रास्ता दर्ज है। जिसका गैर सायल को कोई वास्ता नहीं है। जबकि वकील गैर सायल ने अपनी बहस में बताया है कि विवादित भूमि आ.ख.न. 2279 का संपूर्ण रकबा 0.24 हेक्टर हमारी क्रय शुदा भूमि है। जिसका सायल का कोई वास्ता तालुक नहीं है। हमारी क्रय शुदा भूमि का स्थगन के कारण तरमीम नहीं हो पा रही है। अतः स्थगन आदेश को खारीज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा न्यायालय में बहस वकील उभय पक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित आ.ख.न. 2279 को छोड़ कर उभय पक्ष की सह खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका बिना विभाजन होये स्थगन आदेश निरस्त किया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

–: आदेश :–

ग्राम बामनवास प. कलां के आ.ख.न. 2279 को स्थगन आदेश से मुक्त करते हुये उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वह मूल दावे के निस्तारण तक आ.ख.न. 2287, 8186/2286, 8187/2298, 8185/2280

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
	8188/2298, 8189/2287, 2280, 2286, 2298 के रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। साथ ही गैर सायल सायल की सह खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल किया जावे। पत्रावली मूल दावे की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। यह निर्णय आज दिनांक 29-1-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप जिला कलक्टर बामन... (जिला-स०मा०) (उप जिला कलक्टर) बामनवास	